



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092021-229708
CG-DL-E-16092021-229708

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3465]
No. 3465]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 15, 2021/भाद्र 24, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 15, 2021/BHADRA 24, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2021

का.आ. 3777(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2926(अ) दिनांक 26.07.2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा बिहार राज्य के रोहतास जिले में NH30 के कि.मी. 49+700 से कि.मी. 54+530 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "14.08.2021" को "हिन्दुस्तान टाइम्स" और "प्रभात खबर" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

बिहार राज्य के रोहतास जिले में NH30 के कि.मी. 49+700 से कि.मी.54+530 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: बिहार		जिले का नाम: रोहतास			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: दावत				
	गांव का नाम: रजौधा				
1	276	सरकारी	सड़क	0.0026	अनावाद सर्वसाधारण ()
2	277	सरकारी	सड़क	0.0041	अनावाद सर्वसाधारण ()
3	278	निजी	कृषि	0.2705	गौरीशंकर तिवारी, उमाशंकर तिवारी और नंद कुमार तिवारी पिता रामनाथ तिवारी ()
4	280	निजी	कृषि	0.3172	श्यामानंद चौबे, राधारमण चौबे पिता स्वर्गीय रामसुभग चौबे, मुनमुन चौबे पिता स्वर्गीय रामानंद चौबे ()
5	281	निजी	कृषि	0.0056	जगदीश चौबे पिता कृपानारायण चौबे ()
			कुल	0.6	

[फा. सं. NHAI/PIU/PAT/LA/Ara-Mohania/PKG-I/2020/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th September, 2021

S.O. 3777(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. No. 2926(E) dated 26.07.2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH30 on the stretch of land from Km. 49.700 to Km 54.530 in the district of ROHTAS in the state of BIHAR;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Hindustan Times” and “Prabhat Khabar” both dated 04.08.2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH30 in the stretch of land from Km. 49.700 to Km. 54.530 NH30 in the district of ROHTAS in the state of BIHAR.

State: BIHAR		District: ROHTAS			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Dawath				
	Village: Rajaundha				
1	276	Government	Road	0.0026	Anawad Sarbsadharan
2	277	Government	Road	0.0041	Anawad Sarbsadharan
3	278	Private	Agriculture	0.2705	Gaurishankar Tiwari, Umashankar Tiwari & Nand Kumar Tiwari S/o Ramnath Tiwari
4	280	Private	Agriculture	0.3172	Shymanand Chaubey, Radharaman

					Chaubey S/o Late Ramsubhag Chaubey, Munmun Chaubey S/o Late Ramanad Chaubey
5	281	Private	Agriculture	0.0056	Jagdish Chaubey S/o Kripanarayan Chaubey
			TOTAL	0.6	

[F. No. NHAI/PIU/PAT/LA/Ara-Mohania/PKG-I/2020/3D]

RAJESH GUPTA, Director